E 113578, HFW-F009/1/2023-MED-IV-
Health & Family Welfare Dept.,
Himachal Pradesh, Shimla-9.

From

The Director Health Services,
Himachal Pradesh.

To

All the Chief Medical Officers,
All the Sr. Medical Superintendents,
All the Medical Superintendents,
(under Allopathy), Deptt. of H& FW, HP.

Dated Shimla-9 the

Subject:

Regarding Schemes Notification under Section 7 of the Aadhar targeted delivery of financial and other subsidies and Services Act 2016.

Memo:

I am to enclose herewith a copy of Notification No. HEALTH-A-B(15)-20/2025 dated 26.02.2026 received from the Secretary (Health) to the GoHP, endorsed to the undersigned and other quarters concerned reg. subject cited above. The subsidy, benefit or service for receipt of which proof of Aadhar Number is proposed to be made necessary is given to the TB/DR-TB patients (Under MMKRNY) and ASHAs under the said Scheme. The instructions and guidelines have been issued in respect of this by the Government in the Notification.

Hence, you are requested to make all benefits Aadhar based to the beneficiaries under said scheme with immediate effect.

Encls: As above.

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES
2250
16 MAR 2026
KASUMPTI, SHIMLA-9

Sd/-

Jt. Director Health Services,
Himachal Pradesh.

Endst. No. As Above **Dated: Shimla-9, the**

Copy forwarded to:

1. The Secretary (Health) to the Govt. of Himachal Pradesh w.r.t. letter under reference for information please.
2. The Superintendent (IT Cell), Med. V Br. of this Directorate with the directions to upload Notification on the website.

Jt. Director Health Services,
Himachal Pradesh.

(27)

3296156

"Authoritative English text of this Department's Notification No. HEALTH-A-B (15)-20/2025 dated as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India."

Government of Himachal Pradesh
Department of Health and Family Welfare.
****

No. HEALTH-A-B (15)-20/2025 Dated Shimla-02 26th February, 2026.

NOTIFICATION

Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency under section 7 of the Aadhaar Targeted delivery of financial and other subsidies and services Act 2016:

And whereas, the Department of Health and Family Welfare (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department, as the case may be) in the Government of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Government) is administering **Mukhya Mantri Kshay Rog Nivaran Yojna** (hereinafter referred to as the said scheme):

And whereas, Subsidy, benefit or service for receipt of which proof of Aadhaar number is proposed to be made necessary (hereinafter referred to as the benefit) is given to the TB/DR-TB patients and ASHAs (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the scheme is incurred from the Consolidated Fund of the State.

And whereas, the said Department is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies,

Dated 28/2/2026
Add. DHS

Pvt. Secy./PA

A.O.
Dy. Dir. (Legal)
Supdt. Med-I
Supdt. Med-II
Supdt. Med-III
Supdt. Med-IV
Supdt. Med-V
Supdt. Med-VI
IEC Bureau
Supdt. PMIS (IT)

DHS, H.P.

Sh. I.K.
02/03/26

7.3.26

Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Governor, Himachal Pradesh hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual desirous of availing of the benefit under the scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment before registering for the scheme:-

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centers at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:-

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail the benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorized by the Department for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:-

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and

(b) Any one of the following documents to establish that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely:-

(i) Certificate of birth issued under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;

(ii) Indian passport;

(iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognized board of school education;

(iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(v) In respect of a foreign national,

(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to establish his relationship with the parent or legal guardian, namely:-

(i) Ration card;

(ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tehsildar.

(iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member,

(iv) Indian passport;

(v) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognized board of school education;

(vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in- charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(vii) In respect of a foreign national.-

(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(II) (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office.

(III) (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(IV) If he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder. Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa

to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(V) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption ordcr or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(VI) Any other document as the Department may specify.

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:-

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and

(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:-

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) Ration card;

(iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tehsildar;

(iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member,

(v) Indian passport;

(vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognized board of school education;

(vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;

(viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique

Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;

(ix) Driving license issued in India;

(x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(xi) In respect of a foreign national.-

- (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
- (II) (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
- (III) If he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
- (IV) If he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport;or
- (V) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (VI) Any other document as the said department may specify:

(4) An officer designated by the department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3);-

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on my Aadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such document

1. In order to enable beneficiaries to avail of the benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries

aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

2. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered,

(b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible. benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (fe, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is stablished through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

3. Notwithstanding anything contained hereinabove,-

(a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child-

(i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or

(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and

(b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and

(c) Where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department.

4. In order to ensure that bonafide beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the department shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

5. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

By Order

M. Sudha Devi, IAS
Secretary (Health) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. HEALTH-A-B (15)-20/2025 Dated Shimla-02 26th February 2026.
Copy for information and necessary action to:

1. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
2. All HOD's in Himachal Pradesh.
3. The Joint Secretary (GAD-C) to the Govt. of H.P. w.r.t. Cabinet decision dated 12.02.2026 (Item No. 19).
4. The Director Digital Technology and Governance. Himachal Pradesh.
5. The Director Health Services Himachal Pradesh.
6. The Mission Director NHM, Himachal Pradesh.
7. The Director, Medical, Education & Research, Himachal Pradesh.
8. The All Chief Medical Officers Himachal Pradesh.
9. All Principals of Medical Collages in Himachal Pradesh.
10. All Sr. Medical Superintendents in Himachal Pradesh.
11. All District Tuberculosis Officer, Himachal Pradesh.
12. Office copy.

(Suneel Sharma)
Special Secretary (Health) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

संख्याः– स्वास्थ्य–ए–बी(15)–20/2025 तारीखः शिमला–2 दिंनाक 26 फरवरी, 2026

व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, उनको सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता हैं, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विभाग" कहा गया है) मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" कहा गया है) प्रशासित कर रहा है;

और, स्कीम के अधीन, सहायिकी, प्रसुविधा और सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार संख्या का प्रमाण आवश्यक बनाया जाना प्रस्तावित है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) स्कीम और उसके संबंध में जारी किए गए अनुदेशों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन टी बी/डी आर–टी बी रोगियों और आशा कार्यकर्ताओं (जिसे इसमें इसके पश्चात् "लाभार्थी" कहा गया है) को प्रदान की जाती है;

और व्यय राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाता है;

और विभाग की वांछा है कि सरकार प्रसुविधा की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में प्रसुविधा प्राप्तकर्ता की पहचान स्थापित करने के उध्देश्य से, यह अपेक्षा करती है कि प्रसुविधा प्राप्तकर्ता को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या समुदेशित नहीं है, उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करते है, अर्थातः–

1. (1) योजना के अधीन सुविधा प्राप्त करने की वांछा रखने वाले व्याक्ति को प्रमाणीकरण कराना होगा या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि किसी व्याक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उस मामले में आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगाः

परन्तु बालक के मामले मे ऐसा आवेदन केवल उसके माता–पिता या विधिक संरक्षक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, विभाग सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रसुविधा प्राप्तकर्ता का नामांकन किया जाए जो अभी तक नामांकित नहीं हैं या उनके आधार विवरण को उचित उपायों के माध्यम से अद्यतन किया जाए, जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वयं और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैः

परन्तु जब तक ऐसे प्रसुविधा प्राप्तकर्ताओं को आधार नंबर आबंटित नहीं किया जाता है, वह निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है जिनके लिए वह हकदार है और जो प्रस्तुति के समय विधिमान्य है, या, ऐसे मामले में जहां ऐसे पहचान के लिए विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर प्रदान या अनुमोदित किया गया है, जो इसके तैयार कर्ता या रख–रखाव करने वाले प्राधिकरण के डेटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की सत्यापन सूचना, ऐसा करने की सहमति देकर, इलेक्ट्रोनिक रूप से हासिल करने की सुविधा देता है, अर्थातः–

अठारह वर्ष से कम आयु के बालक के लिए, जिसे आधार संख्या समुदेशित नहीं की गई हैः

(क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें नामांकन आई डी (ई आई डी) होती है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज यह प्रमाणित करने के लिए कि लाभार्थी अठारह वर्ष से कम आयु का बालक है, अर्थातः–

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या दसवीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या बारहवीं कक्षा का प्रमाण–पत्र या अंकों का विवरण;

(iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था

के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण–पत्र; या

(v) किसी प्रवासी वैदेशिक नागरिक के संबंध में –

(i) यदि वह भारतीय कार्ड धारक नागरिक है, तो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड ;

(ii) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र; या

(iii) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट; या

(iv) यदि वह विदेशी कार्डधारक भारतीय नागरिक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान वैध या समाप्त विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत के लिए लंबी अवधि का वीजा; या

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें लाभार्थी की फोटो हो, जो उसके माता–पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करे, अर्थातः–

(i) राशन कार्ड;

(ii) जाति प्रमाण–पत्र या अधिवास प्रमाण–पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो; द्वारा जारी किया गया हो;

(iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत या कार्यरत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान–पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या दसवीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या बारहवीं कक्षा का प्रमाण–पत्र या अंकों का विवरण;

(vi) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में, जिसे किशोर न्याय(बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखभाल संस्था में रखा जाता है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या

परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण–पत्र; या

(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,–

(i) यदि वह भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड;

(ii) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो क्षेत्रीय विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र;

(iii) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है; तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(iv) यदि वह विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(v) ऐसे लाभार्थी के वावत जिसके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकता के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिक घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्याय अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या

(vi) कोइ अन्य दस्तावेज जो यथा विभाग विनिर्दिष्ट करे।

अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी के लिए जिन्हें आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है:

(क) लाभार्थी द्वारा नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेने की पावती, जो नामांकन केंद्र पर आपरेटर द्वारा प्रदान की गई हो, जिसमें ई आई डी शमिल है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थात्:–

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) जाति प्रमाण–पत्र या अधिवास प्रमाण–पत्र, जो किसी राजपत्रित अधिकारी जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की पंक्ति से नीचे का न हो; द्वारा जारी किया गया हो;

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या दसवीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या बारहवीं कक्षा का प्रमाण–पत्र या अंकों का विवरण;

(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तांवेज;

(viii) दिव्यांजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;

(ix) भारत में जारी किये गए ड्राइविंग लाइसेंस;

(x) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक या विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बालक देख–रेख संस्था में रखा जाता है, ऐसे संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया उसकी जन्मतिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण–पत्र; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,–

(I) यदि वह भारतीय नागरिक कार्डधारक है, तो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो क्षेत्रीय विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह विदेशी भारतीय नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान का नागरिक नहीं है, तो उसके पास या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा होना चाहिए या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा होना चाहिए; या

(V) ऐसे लाभार्थी के संबंध में जिसके नाम विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक अभिभावकता के साक्ष्य के लिए अन्य दस्तावेज है, जो संरक्षक और प्रतिपान्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और सरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) राष्ट्रीय स्वपरायत, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मदता और बहु– निःशतता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण राष्ट्रीय इस्ट अधिनियम, 1999 (1999 का 44) का न्याम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(VI) कोई अन्य दस्तावेज जो विभाग विनिर्दिष्ट करे।

(4) उक्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी धारा (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय–वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा,–

(क) माइआधार पोर्टल (https:@@myaadhaar. Uidai.gov. in @portal) पर ईआईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करे ताकि यह पुष्टि हो सके कि ईआईडी वैध है और नामाकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों के संबंध में तथा इस प्रयोजन के लिए किसी सरकारी संस्था या प्राधिकरण की सहायता ले सकेगा तथा प्रस्तुत जानकारी को उसके साथ साझा कर सकेगा जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रख–रखाव से संबंधित है।

1. लाभार्थियों को लाभ आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मंत्रालय स्कीम के अधीन आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

2. जब आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे का प्रतिविव उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जाता है, वह किसी भी कारण में असफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक सूचना की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे अर्थात्:–

(क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक–आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन–टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, जहां भी व्यवहार्य और स्वीकार्य हो, से किया जाएगा,

(ख) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक–आधारित या ओटीपी–आधारित तरीके संभव नहीं हैं, वहाँ उक्त स्कीम के अधीन लाभ, यथा स्थिति, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी दस्तावेज के आधार पर दिया जा सकता है:

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई–आधार (अर्थात् यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार–पत्र की पासवर्ड में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या जिसे एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता हो) सम्मिलित है, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात्।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई–केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है), यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर आईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के पश्चात्।

3. ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी,–

(क) उक्त स्कीम के अधीन किसी बालक को लाभ देने से इनकार नहीं किया जाएगा–

(i) चल रहे प्रमाणन द्वारा पहचान स्थापित करने और आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में; या

(ii) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में, जहां उसे आधार संख्या नहीं दी गई है; और

(ख) स्कीम के अधीन लाभ, ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और पैरा 1 के खंड (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट रीति से उसके माता–पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके दिया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां उसके संबंध में एक रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा समय–समय पर समीक्षा और लेखा–परीक्षा की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, विभाग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी–26011/04/2017– डी बी टी (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

एम सुधा देवी
सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्याः– स्वास्थ्य–ए–बी(15)–20/2025 तारीखः शिमला–2 दिंनाक 26 फरवरी, 2026

सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित प्रतिरूपः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन–सी), हिमाचल प्रदेश सरकार को मंत्रीमंडल के निर्णय दिनांक 12 फरवरी 2026 (मद संख्या 19) के संबंध में।
4. निदेशक, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग, हिमाचल प्रदेश।
5. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, हिमाचल प्रदेश।
6. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश।
7. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त चिकित्सा कालेजों के प्राचार्य, हिमाचल प्रदेश।
10. समस्त वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश।
11. समस्त जिला क्षय रोग अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
12. कार्यालय प्रति।

(सुनील शर्मा)
विशेष सचिव (स्वास्थ्य)
हिमाचल प्रदेश सरकार।